



## प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 23.12.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 754/25 धारा 103(1)/61(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम में वांछित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से आलाकत्तल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### संक्षिप्त

### विवरण:-

दिनांक

13.12.2025

को थाना  
कोतवाली  
बागपत पर  
वादी श्री सुभम  
पुत्र ऋषिपाल



निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. देवप्रिय पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत, 2. दिनेश पुत्र अमीगिरी निवासी दत्तनगर थाना बिनौली जनपद बागपत, 3. आजाद पुत्र भीम, 4- प्रियवृत पुत्र सत्यवीर, 5- थम्बू, 6- ओमवीर पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने षड्यन्त्र कर उसके पिता ऋषिपाल की हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 754/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 754/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में वांछित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्तल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-देवप्रिय पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-दिनेश पुत्र अमीगिरी निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-आजाद पुत्र भीम निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-प्रियवृत पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-ओमवीर पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त देवप्रिय का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 578/25 धारा 147/148/149/302/34/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 1222/21 धारा 304 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 0052/25 धारा 323/504/506 बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त आजाद का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0आ0सं0 578/25 धारा 147/148/149/302/34/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0आ0सं0 1222/21 धारा 304 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-मु0आ0सं0 280/25 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-मु0आ0सं0 829/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त प्रियवृत का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0आ0स0 578/25 धारा 147/148/149/302/34/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0आ0स0 774/25 धारा 307/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-मु0आ0स0 1222/21 धारा 304 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तारी का स्थान:-

दिनांक 23.12.2025 को बिहारीपुर से खेडा हटाना वाले रास्ते पर मुर्गी फार्म के पास थाना कोतवाली बागपत ।

### पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त देवप्रिय पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत ने बताया कि वह ग्राम का वर्तमान प्रधान है। आगामी प्रधानी चुनाव में ऋषिपाल द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अमित को समर्थन दिए जाने की जानकारी होने पर अभियुक्त को चुनाव हारने का भय हुआ, इसी कारण अभियुक्त ने अपने साथियों आजाद, प्रियवृत, ओमवीर, दिनेश व आर्यमित्र उर्फ थम्बू के साथ मिलकर ऋषिपाल की हत्या की योजना बनाई।

योजना के अनुसार दिनांक 13.12.2025 को प्रातः ऋषिपाल के दुकान खोलते समय अभियुक्त व दिनेश तमंचों के साथ मौके पर पहुंचे। दिनेश ने तमंचे से ऋषिपाल की पीठ में गोली मारी, तत्पश्चात अभियुक्त ने भी एक फायर किया। फायर की आवाज सुनकर लोगों के आने पर अभियुक्तगण मौके से फरार हो गए तथा हथियार खेत में फेंक दिए।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 816 शौकिन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 11-है0का0 632 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 12-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 13-का0 165 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 14-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 15-चालक का0 443 रामेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 23.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 409/25 धारा 3/25 आम्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**महत्वपूर्ण सूचना:-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।  
(हिस्ट्रीशीट संख्या- 881A)

## बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

## अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0- 260/13 धारा 323/324/325/452 भादवि थाना बिनौली बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0-303/13 धारा 324/323/504/506 भादवि थाना बिनौली बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0-357/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बिनौली बागपत ।
4. मु0अ0सं0 131/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिरो थाना बिनौली बागपत ।
- 5.मु0अ0सं0 06/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली बागपत ।
- 6 मु0अ0सं0-15/22 धारा 63 आबकारी अधिनिमय थाना बिनौली बागपत
- 7.मु0अ0सं0 409/25 धारा 3/25 आयुध अधिरो थाना बिनौली बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनिया थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



# BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली , जनपद बागपत

दिसम्बर 2025

थाना बिनौली पुलिस, जनपद बागपत के द्वारा माह दिसम्बर 2025 में आवेदक/पीड़ित से ऑनलाइन दूसरे खाते में हुए ट्रांस्फर रूपये कुल 27000/- रूपये वापस कराये गये—

थाना  
बिनौली, जनपद  
बागपत पर आवेदक  
श्री गौरव कुमार पुत्र  
जयकुमार निवासी  
ग्राम अंगदपुर थाना  
बिनौली बागपत ने  
लिखित प्रार्थना पत्र  
दिया कि उससे



27000 रूपये दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांस्फर हो गये हैं। प्राप्त शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना बिनौली पुलिस द्वारा त्वरित वैधानिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप आवेदक/पीड़ित के 27000/-रूपये को वापस कराये गये।

रूपये वापस मिलने पर आवेदक/पीड़ित द्वारा थाना बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 23.12.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से एक चोरी की एक मो0सा0 हीरो सुपर स्प्लैण्डर UP-14DY-  
2614 व एक अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक चोरी की एक मो0सा0 हीरो सुपर स्प्लैण्डर UP-14DY-2614 व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उक्त के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 455/25 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इरफान पुत्र साविर निवासी ग्राम मवीकलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

## बरामदगी का विवरण:-

- एक मोस्टो हीरो सुपर स्प्लैण्डर UP-14DY-2614 व एक अवैध चाकू ।

## गिरफ्तारी टीम:-

- 1-उनिनी श्री कपिल कुमार थाना खेकड़ा ।
- 2-हैरकानी 86 अजय कुमार थाना खेकड़ा ।
- 3-कानी 783 हिमांशु चौधरी थाना खेकड़ा ।
- 4-कानी 250 कोमल चौधरी थाना खेकड़ा ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 23.12.25

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया  
गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 22 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग को दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 22 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुई हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु030सं0 163/25 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भंवर सिंह उर्फ भाना पुत्र श्रीराम निवासी अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 22 पव्वे अवैध देशी अवैध शराब ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना बालैनी, जनपद बागपत ।
- 2-का0 160 अंकुल सिंह थाना बालैनी, जनपद बागपत ।
- 3- HG 776 सतवीर थाना बालैनी, जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 23.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अक्षनी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 588 राधेश्याम थाना बिनौली जनपद बागपत ।